मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

राज्य निर्वाचन आयोग को वाहन प्रतिस्थापन मद में पुराने वाहन का अपलेखन कर प्रतिस्थापन मद में वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय जिला न्यायालय, हरदा मध्यप्रदेश द्वारा पारित प्रकरण में डिक्रीधन एवं ब्याज की राशि जमा करने हेतु राशि रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3 - 8

लोकायुक्त संगठन कार्यालय हेतु पारितोषक/पुरस्कार, यात्रा भत्ता, दूरभाष किराया महसूल, मशीन का अनुरक्षण एवं गोपनीय सेवा के लिये राशि रुपये 20.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

राज्य सत्कार कार्यालय को राज्य आतिथियों के भ्रमण के अवसर पर उनके आवास, खानपान, परिवहन एवं शासकीय भोज के परिप्रेक्ष्य में आतिथ्य पर व्यय मद हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 5

केन्द्रीय तथा जिला जेल अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय, यात्रा भत्ता, दूरभाष व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां तथा राशन का मूल्य/भोजन व्यय मद में राशि रुपये 5.51 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,51,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09

मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 1

शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय अंतर्गत आवंटित राशि को समर्पित करते हुये लघु शीर्ष (797) आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण मद में राशि रुपये 23.21 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना (अन्य राज सहायता) के अंतर्गत राशि रुपये 80.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान 2012 (अन्य राज सहायता) अंतर्गत राशि रुपये 40.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण हेतु राशि रुपये 170.50 करोड़ के स्थान पर रुपये 3,65,22,52,000 का अंतरण किया जाना है। अत: उक्त प्रयोजन हेतु अंतर की राशि रुपये 1,94,72,52,000 का प्रावधान किया गया है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,94,72,52,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

टैरिफ सब्सिडी मद में मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 275.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 4

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि का सतत ऋण में परिवर्तन करने हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनियों के विद्युत परियोजनाओं के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों के दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2014 तक प्रदाय कार्यशील/पूंजीगत ऋणों एवं इस पर देय ब्याज को सतत ऋण में परिवर्तन करने हेतु रुपये 7728.45 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,28,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्रों/सिंचाई यंत्रों के लिये विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत बलराम तालाब योजना अंतर्गत राशि रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2246.78 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,46,78,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित मछुआ आवास निर्माण योजना हेतु रुपये 94.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 94,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

मछली पालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 419.06 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,19,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1 - 5

सहकारिता विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी हेतु राशि रुपये 9.80 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये रुपये 450.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत रक्ताधान परिषद का गठन (कर्मचारियों के वेतन भत्ते, वाहन, पी.ओ.एल. एवं कार्यालय व्यय) हेतु राशि रुपये 88.26 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री बाल श्रवण सहायता योजना हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संविदा मलेरिया फील्ड वर्करों के मानदेय हेतु राशि रुपये 1,000 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत निवेश संवर्धन योजना प्रारंभ होनी है जिसके लिये नवीन बजट लाईन खोला जाना है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन एवं सदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 1,000 का प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 1,000 का प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हेतु राशि रुपये 1,000 का प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (नगर तथा ग्राम निवेश) अंतर्गत ग्वालियर तथा भोपाल में दो शहीदों के आश्रितों को भूखण्ड प्रदाय हेतु अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 2

राजधानी परियोजना अंतर्गत मंत्रालय विस्तार हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 25.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम के समायोजन हेतु रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना अंतर्गत रुपये 40.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भानपुरा नहर परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य पर रुपये 15.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 3

महुअर परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य पर रुपये 150.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अपर ककेटो बांध परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य पर रुपये 6.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राजकीय राजमार्ग अंतर्गत स्थायी सम्पत्तियों के अनुरक्षण पर रुपये 20.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण पर रुपये 50.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

बी.ओ.टी. मार्गो का विकास एवं पर्यवेक्षण अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 20.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण मद में खनिज निरीक्षकों को प्रशासन अकादमी में खनिज प्रशासन नियम कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ई-खनिज से संबंधी देयक का भुगतान किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 8,84,600 के अनुपूरक अनुमान में प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,84,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

संस्कृति विभाग के अंतर्गत रवीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन किया जाना है इस हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि राजस्व मद से समर्पित कर प्राप्त की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 8

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों तथा मजदूरी हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 204.90 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 68.30 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 273.20 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,73,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय करने हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय विभागके अंतर्गत नि:शक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना में भारत सरकार द्वारा जारी राशि रुपये 139.43 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

39 भवन विहीन जिला परिवहन कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य के लिये रुपये 12.75 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

आयुष विभाग में स्व. पं. उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

खाद्य विभाग के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खाद्य विभाग के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में राशि रुपये 177.65 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,77,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

खाद्य विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता कल्याण में राशि रुपये 9.58 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्रो की शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 49.36 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,36,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 2

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलीटेकनिक योजना के तहत पोलीटेकनिक महाविद्यालयो के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त पूर्व वर्ष की व्ययगत राशि तथा वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 4.20 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 15.75 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 5.25 लाख राज्यांश के रुप में कुल रुपये 21.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 4

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों / आश्रमों में प्रवेश न पा सकने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्र गृह योजना संचालित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2300.00 लाख

की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 30

आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास योजना को केन्द्र क्षेत्रीय योजना में प्रवर्तित कर भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा रुपये 87.00 लाख की राशि प्रथम किश्त के रुप में निगर्मित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 87.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 31 - 35

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित एकलव्य औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराय भत्ता, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे हेतु अदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 21.82 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,82,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 36

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत नि:शक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण ,लिफ्ट, रेम्प, टॉयलेट आदि हेतु रुपये 42.05 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 42.05 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 37

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित सूरज धारा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षैत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 39

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 8.25 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 8.25 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 40

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्र जिला झाबुआ लागत रुपये 472.58 लाख से निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये जिला चिकित्सालय बैतूल के वर्तमान भवन का 300 बिस्तर हेतु विस्तार लागत रुपये 1493.00 लाख एवं जिला चिकित्सालय डिण्डोरी एवं शाजापुर में आवासीय भवन का निर्माण कार्य लागत रुपये 416.64 लाख से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर जिला बालाघाट में आवासीय भवन, बाउन्ड्रीवाल, नलकूप खनन तथा पेवर का कार्य लागत रुपये 176.84 लाख तथा लखनादौन जिला सिवनी का 100 बिस्तरीय अस्पताल का उन्नयन लागत रुपये 1800.00 लाख से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 48.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रुप में स्वीकृत रुपये 2,51,87,500 किये गये है। अतएव केन्द्रांश के रुप में रुपये 2,51,87,500 तथा राज्यांश हेतु राशि रुपये 1,35,12,500 इस प्रकार कुल राशि रुपये 3,87,00,000 का प्रावधान किया जाना है, अग्रिम की प्रतिपूर्ति उक्त राशि से की जावेगी।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 3,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

लघु एवं लघुतम सिंचाई योजना अंतर्गत रुपये 15.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सुधार सुदृड़ीकरण एवं पुर्नस्थापना योजना अंतर्गत निर्माण कार्य पर रुपये 20.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 10.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 55.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है। इस हेतु राज्य की आकस्किता निधि से रुपये 40.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि रुपये 6.20 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पोलीटेक निक महाविद्यालय जिला टीकमगढ़ के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 54.75 लाख एवं कला निकेतन पोलीटेक निक महाविद्यालय जबलपुर हेतु राशि रुपये 31.00 लाख इस प्रकार कुल केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 85.25 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नाबार्ड के ऋण से निर्मित की जाने वाली आई.टी.आई. के भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पौधशाला व उद्यान उपयोजना हेतु रुपये 256.60 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,56,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पौधा मिशन भारत सरकार द्वारा जारी हेतु रुपये 428.06 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,28,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 3322.58 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,22,58,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 1

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 64.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

ओला पीड़ितों को राहत अंतर्गत सहायक अनुदान में राशि रुपये 500.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 5

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में वक्फ न्यायाधिकरण का गठन हेतु रुपये 5.09 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलीटेकनिक योजना के तहत पोलीटेकनिक महाविद्यालयो के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 31.50 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 10.50 लाख राज्यांश के रुप में कुल रुपये 42.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 3 - 9

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पदस्थ अमले के वेतन भत्तो एवं कार्यालय व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 687.80 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,87,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 10

निदेशन और प्रशासन योजना अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियो की गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 2.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली ,राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की देय बकाया राशि / ओवरड्यू का भुगतान किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3435.59 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,35,59,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

प्रदेश के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 185.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,85,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 13 - 15

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित अंबेडकर औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, एवं संस्थाओं के बिजली व जल प्रभार आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 13.70 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 16

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत नि:शक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण ,लिफ्ट, रेम्प, टॉयलेट आदि हेतु रुपये 39.84 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 39.84 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,84,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 17

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित सूरज धारा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन हेतु रुपये 79.24 लाख की राशि निगर्मित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 79.24 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 20

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 16.50 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 16.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 6225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में केन्द्रीय निगम को ऋण की वापसी हेतु केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को ऋण भुगतान के लिये राशि रुपये 165.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत भारत सरकार की योजना अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु राशि रुपये 291.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों हेतु राशि रुपये 477.11 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,77,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग में मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर अंतर्गत सहायक अनुदान राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 9

चिकित्सा शिक्षा विभाग में इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय हेतु राशि रुपये 101.19 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय अंतर्गत कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 0.57 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 12

चिकित्सा शिक्षा विभाग में दंत महाविद्यालय इंदौर संस्था में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 155.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 15

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत ग्रेड-पे, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं संधारण अनुदान हेतु राशि रुपये 2834.38 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,34,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 9.10 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 17

चिकित्सा शिक्षा विभाग में भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के लिये पारेषण प्रणाली के कार्य अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 400.77 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में 6 वार्ड एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

अध्यापक संवर्ग के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 8000.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अध्यापक संवर्ग के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 8000.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 3

पंचायत विभाग के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान हेतु राशि रुपये 1340.60 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,40,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पंचायत विभाग के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान हेतु राशि रुपये 37081.40 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,70,81,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

प्रदेश की जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना अंतर्गत अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण योजना अंतर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ते के अंतर्गत राशि रुपये 7.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 4-6

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु राशि रुपये 84.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।